उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-76/2017/770/92-2-2017-14जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 18 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय परिसर में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/2016/1938/92-2-2016-14जांच/2016 दिनांक 20-10-2016 द्वारा श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता,(स्टोर) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच के सम्पादनार्थ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। सम्यक विचारोपरान्त जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-30/2017/19/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 28-02-2017 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को एतदद्वारा पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-76/2017/770/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित अभिलेख पूर्व जांच अधिकारी/श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद से प्राप्त कर नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन को कृपया एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जॉच अधिकारी/श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी/ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

4- श्री एस0के0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी, द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।